पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–177 / 2021

1. सत्यपालसिंह पुत्र धुड़सिंह जाति राजपूत साकिन तिहरवाली जिला सीकर हाल आबाद चक 13 के.एच.एम. तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री राकेश झींझा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–11.10.2022

यह वादी / प्रार्थी का वादपत्र / प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि वादी ने दिनांक 27.9.94 को चक 13 केएचएम के मु0नं0 40 / 19, 27 की 12.00 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा चन्द्रकंवर पत्नी भगवानदान, भगवानदान पुत्र काजदान व ओमप्रकाश पुत्र भरत शर्मा से खरीद की थी। खदीद के दिन से वादगत भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है जिसे वादी हरप्रकार से उपयोग व उपभोग का अधिकारी है। वादी ने वादगत भूमि क्रय की उस समय डिडराईट ने वादी का नाम बैयनामा में सतुसिंह अंकित कर दिया जबकि वादी का नाम सत्यपालसिंह है। वादी का नाम सतुसिंह के स्थान पर सत्यपालसिंह घोषणात्मक दुरूस्ती की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र / प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार चक 13 केएचएम सम्वत् 2075–2078 जमाबन्दी खाता सं0 64 पर मु0नं0 40 / 19 के किला नं0 18 ता 25 की 8.00 बीघा कमाण्ड भूमि व मु0नं0 40 / 27 के किला नं0 21 ता 24 की 4.00 बीघा कमाण्ड भूमि कुल योग 12.00 बीघा कमाण्ड भूमि सतुसिंह पुत्र धूड़सिंह जाति राजपूत निः तिहरवाली खातेदार दर्ज रिकॉर्ड अंकन है। मौके पर गवार की बिजाई है व कब्जा काश्त है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.10.21 में हल्का पटवारी दंतौर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उपरोक्त रकबे पर सत्यपाल का ही कब्जा काश्त है। पूर्व में इनका नाम अधूरा [illegible] बोला जाता था इसलिए इनको सतूसिंह से पुकारा जाने लगा स्वयं प्रार्थी आवेदक के साथ आये गवाह व अन्य व्यक्तियों ने पंजीयन के समय सतूसिंह अंकन करवा दिया। प्रार्थी का सही नाम सत्यपालसिंह किया जाना ठीक है।

वादी / प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र / वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, जन्मप्रमाणपत्र, राशनकार्ड, अन्य जमीन का बैयनामा की छायाप्रति जिसमें सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यपालसिंह अंकित है व ग्रामपंचायत दंतौर तस्दीक पेश की। ग्राम पंचायत दंतौर ने लिखा है सतूसिह व सत्यपालसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सत्यपालसिंह अंकित है। जो कि वादी/प्रार्थी अनुसार सही नाम है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे दिनांक 22.10.21 पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला व तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक 511 दिनांक 10.08.22 वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पटवार हल्का दन्तौर की रिपोर्ट व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का बैयनामा में प्रार्थी का नाम अनपढ़ होने व बोलचाल की भाषा के हिसाब से गलत अंकित हो गया है । जिससे राजस्व रिकॉर्ड में भी सत्यपालसिंह की बजाय सतूसिंह दर्ज हो गया। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सतूसिंह की जगह सत्यपालसिंह उर्फ सतूसिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested